

24-12-2020

पञ्चवली पेश हुई / कमुलाप उभयपक्ष उपस्थित।  
प्रतिवादी सं. 2 की ओर से जवाब पेश हुआ  
जिसकी नकल वकील प्रतिपक्ष को दिलवायी  
जाकर शामिल पञ्चवली किया गया / वास्तु  
पेश होने जवाब प्रतिवादी सं. 1 तथा लखी प्रतिवादी  
सं. 3 पञ्चवली दिनांक 28-1-2021 को पेश  
हो।

03-2-2021

वकील वादियों की ओर से प्रस्तुत प्रारूप मिसल  
लखी स्वीकार किया जाने पर पञ्चवली निरत

तारीख पेशी से तल्लख ही जाकर भाज पेश हुई  
 वकील वरिगण ने एक प्राण पत्र वाकत विद्वा पेश  
 कर निवेदन किया कि उनवानी प्रकरण में वर्णित  
 वादग्रस्त श्रुतियों के सम्बन्ध में पक्षकारान के  
 मध्य आपस में शर्तीनामा हो चुका है। इसलिये  
 वरिगण उक्त वादपत्र को आगे नहीं चलाना  
 चाहते हैं। अतः दस्तगत वादपत्र को विद्वा मित्रे  
 जाने की अनुमति प्रदान करें। चूंकि वरिगण  
 के कथनानुसार विवादित पक्षकारान के मध्य  
 शर्तीनामा हो चुका है और वरिगण उक्त वादपत्र  
 को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः वकील  
 वरिगण द्वारा प्रस्तुत प्राण पत्र न्यायवित्त में स्वीकार  
 किया जाकर दस्तगत वादपत्र को विद्वा मित्रे जाने  
 की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रकरण में आगे  
 कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः कार्यवाही  
 प्रकरण इसी स्तर पर drop की जाती है।  
 पञ्चवली फैमल शुमार होकर नम्बर से कत हो  
 तथा बाद तल्लख दाखिल दफ्तर हो। यह  
 निर्णय आज दिनांक 03-2-2021 को खुले  
 न्यायालय में सुनाया गया।

3/2/2021  
 (रामेश कुमार)



RAS  
 सहायक जज  
 (फारस डेप्युटी) खण्डला